खाद्य संरक्षा विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
8वीं तल, मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001

सं.फा. एफ 211(17)डी ओ एफ एस/एच क्यू/2017– 12301–12321 दिनांक 13. 04. 2017

अधिसूचना

जबकि, गुटका, पान मसाला सुगन्धित/सुवासित तम्बाकू, खर्रा और इसी प्रकार के अन्य उत्पाद जिनमें तम्बाकू है, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, ग्राहकों के स्वास्थ्य को भारी क्षति पहुंचा सकते हैं और ये आने वाली भावी पीढ़ियों की जैविक संरचना में परिवर्तन करके उन पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकते हैं;

जबकि, तम्बाकू, चाहे सुस्वाद, सुगन्धित हो या अन्य घटकों जैसे निकोटीन, भारी धातु, एन्टी–केकिंग एजेंट (घटकों के रूप में विशेष रूप से अनुमत्त सीमा तक) चांदी के वर्क वाइंडर्स की सुरवाद सुगन्ध, सुगन्ध, प्रतिबंधित रसायन के साथ मिश्रित किया गया हो या इन घटकों में कोई एक (उक्त घटक इसके बाद सामूहिक रूप से या अलग रूप से जैसा संदर्भ में अपेक्षित हो, उक्त व्यसन के रूप में संदर्भित है) खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3 के खंड (ञ) के अन्तर्गत "खाद्य पदार्थ" है;

जबकि, केन्द्र सरकार ने तम्बाकू और निकोटिन वाले उत्पादों को खाद्य संरक्षा एवं मानक (निषेद्य तथा बिक्री पर प्रतिबंध) विनियम, 2011 के विनियम, 2.3.4 तथा खाद्य संरक्षा मानक (खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य व्यसन), विनियम, 2011 के विनियमों 3.1.7 के अन्तर्गत एंटी केकिंग एजेंट (विस्तारित अनुमति से परे) में प्रतिबंधित किया है;

जबकि, उक्त खाद्य पदार्थों का उपभोग मानव स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती के लिए हानिकारक होगा और जबकि इन खाद्य पदार्थों को बिना प्रतिबंध के अनुमत किया जाता है तो ऐसा करना वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों की तंदुरूस्ती से समझौता होगा;

जबकि, कानून के अधीन तथा जन स्वास्थ्य के हित में ऐसे किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर प्रतिबंध लगाने हेतु आयुक्त, खाद्य संरक्षा उत्तरदायी है और जबकि खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(क) के अन्तर्गत यह आदेश करने के लिए विधिवत् प्राधिकृत है;

अब इसलिए, खाद्य संरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (क) के द्वारा प्रदत्त इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी, आयुक्त (खाद्य संरक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए तम्बाकू के विनिर्माण, भंडारण, वितरण या बिकी का जन स्वास्थ्य के हित में प्रतिबंधित करता हूं जो उक्त व्यवसन में किसी के साथ या तो सुगन्धित, सुवासित या मिश्रित की गई हो और चाहे गुटका, पान मसाला, सुगंधित, सुवासित तम्बाकू या खर्रा के नाम से या रूप हो या अन्यथा किसी भी नाम से पुकारा जाए चाहे यह पैकेज में हो या बिना पैकेज के हो तथा/अथवा एक उत्पाद के रूप में बेची गई हो, अथवा पैकेज में अलग उत्पादों के रूप में बेची या वितरित इस प्रकार से की जाय ताकि सेवन करने के लिए उपभोक्ता द्वारा सुविधापुर्वक मिलाया जा सके।

मृणालिनी
13/4/17

(डॉ मृणालिणी दर्सवाल)
भा.प्रशा.सेवा
आयुक्त (खाद्य संरक्षा)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं.फा. एफ 211(17)डी ओ एफ एस/एच क्यू/2017- 12301-12321 दिनांक 13. 04. 2017

प्रतिलिपि

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली ।
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
3. अध्यक्ष, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफ डी ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली।
4. पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
5. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम (उत्तर/दक्षिण) सिविक सैंटर, दिल्ली।
6. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम (पूर्व) डी एस आई डी सी परिसर, कड़कड़डूमा, दिल्ली ।
7. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली।
8. मण्डलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
9. सचिव उपराज्यपाल, दिल्ली।
10. सचिव, मुख्य मंत्री, दिल्ली।
11. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
12. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
13. आयुक्त, व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, दिल्ली।
14. आयुक्त, आबकारी मनोरंजन एवं विलासिता कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, एल-ब्लाक, विकास भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
15. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
16. समस्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों को मण्डलीय आयुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से।
17. प्रधान सचिव, विधि एवं न्याय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
18. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड, नई दिल्ली।
19. समस्त नामांकित अधिकारी /खादय संरक्षा अधिकारी/डी. एल. ए., खादय संरक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
20. उप-सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, को (अनुलिपि में) दिल्ली राजपत्र भाग-4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
21. गार्ड फाईल।

13/4/17

(डॉ मृणालिणी दर्सवाल)
भा.प्रशा.सेवा
आयुक्त (खाद्य संरक्षा)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार